UPBG040059042025

Criminal Misc. Cases/530/2025

न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत।

उपस्थित-श्री **रत्नम** श्रीवास्तव (उ०प्र० न्यायिक सेवा)-UP-2095

राज्य बनाम जितेन्द्र कश्यप

मु०अ०सं०-05/2025

थाना- खेकडा, जिला बागपत।

दिनांक-06.10.2025

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। पूर्व में उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को संज्ञान के बिन्दु पर सुना जा चुका है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में इस आशय का कथन किया गया है कि वादिनी मुकदमा अभियुक्त के अधीनस्थ उपकारापाल के पद पर जिला कारागार बागपत में नियुक्त थी। अभियुक्त तत्कालीन कारापाल (जेलर) जिला कारागार बागपत द्वारा वादिनी को अपने ड्यूटी के संबंध में अनुशासित होने को तथा समयबद्ध कार्यालय में उपस्थित होने के लिए अक्सर कहा जाता था, जिससे वादिनी अभियुक्त के विरूद्ध दुराशय रखने लगी, जिस कारणवश एक मनघढन्त असत्य घटना का कथानक बनाते हुए गलत तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। वादिनी का यह कथन कि दिनांक 01.01.2025 को अभियक्त द्वारा वादिनी के साथ अभद्रता करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया गया है, गलत है। वादिनी द्वारा दौरान विवेचना ऐसा कोई साक्ष्य विवेचक को उपलब्ध नहीं कराया है जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा-64(2),62,115(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा-3(2)(5) महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन निवारण प्रतिषेध अधि० का अपराध साबित होता हो। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि केसडायरी में विवेचक द्वारा जितने भी स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य लेखबद्ध किये गये है, उनके द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। सिर्फ वादिनी के बयान अंतर्गत 183 बी०एन०एस० के आधार पर विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में उक्त वर्णित धाराओं में आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। यदि वादिनी के बयान को सत्य मान भी लिया जाये, तब भी धारा-64(2) भा०न्या०सं० के प्रावधान आकर्षित नहीं हो रहे है, अधिकतम धारा-74 भा०न्या०सं० का अपराध कारित होना माना जा सकता है। अतः उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत संज्ञान लेने हेतु न्याय से आग्रह किया गया है।

वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि वादिनी मुकदमा द्वारा सत्य कथनों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए वादिनी के साथ निरन्तर अभद्र व्यवहार किया जाता था तथा घटना की तिथि 01.01.2025 को अभियुक्त द्वारा वादिनी को अपने चैम्बर में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है, जिसको वादिनी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा-180 व 183 भा०न्या०सं० में साबित किया गया है। दुष्कर्म का अपराध प्रायः एकान्त में होता है, जिसको साबित करने हेतु स्वतंत्र गवाह पर आश्रित नहीं हुआ जा सकता है। विवेचक द्वारा समस्त साक्षियों के मूल्यांकन के बाद उपर्युक्त धाराओं में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा-64(2),62,115(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा-3(2)(5) महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन निवारण प्रतिषेध अधि० के अंतर्गत संज्ञान लिया जाना आवश्यक तथा न्यायसंगत है।

मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के सम्यक परिशीलन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी मुकदमा जो जिला कारागार बागपत में उपकारापाल के पद पर तैनात थी, द्वारा इस आशय का अभियोग अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया है कि प्रार्थिनी के साथ दिनांक 01.01.2025 को जिला कारागार बागपत के कारापाल कार्यालय में कारापाल (जेलर) जितेन्द्र कुमार कश्यप द्वारा अभद्रता करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। इसकी सूचना वादिनी द्वारा पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार महोदय को दूरभाष पर दी गयी। कारागार मुख्यालय से एक महिला विशेष कार्याधिकारी द्वारा जिला कारागार बागपत पर आकर मेरे बयान लिये गये। उक्त प्रकरण गम्भीर प्रकृति का होने के कारण वादिनी द्वारा दिनांक 04.01.2025 को कारागार मुख्यालय को लिखित रूप से भी सूचित किया गाय। अतः प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी। उक्त कथनो के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा अंतर्गत धारा-64(2),62 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पंजीकृत किया गया तथा बाद विवेचना विवेचक द्वारा उक्त धाराओं के अतिरिक्त धारा-115(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा-3(2)(5) महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन निवारण प्रतिषेध अधि० के अंतर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया है।

मुख्य रूप से वादिनी द्वारा अपनी तहरीर तथा बयानों में यह कथन किया है कि घटना की तिथि दिनांक 01.01.2025 को समय लगभग 04.30 बजे अभियुक्त द्वारा वादिनी को उसके चैम्बर में पकड लिया तथा मुँह दबाकर घसीटते हुए आफिस के बाथरूम में ले गया तथा उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के आलोक में सर्वप्रथम धारा-64(2) भा०न्या०सं० जो कि बलात्संग के लिए दण्ड का प्रावधान करती है, का अवलोकन महत्वपूर्ण है। धारा-63 भा०न्या०सं० बलात्संग को परिभाषित करती है, जो इस प्रकार है कि जब कोई पुरुष -

(क) किसी महिला की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपने लिंग का किसी भी सीमा तक प्रवेशन करता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है; या

(ख) किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है; या

(ग) किसी महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है जिससे कि उस महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है; या

(घ) किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है,

तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, जहां ऐसा निम्नलिखित सात भांति की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में किया जाता है :-

(i) उस महिला की इच्छा के विरुद्ध ;

(ii) उस महिला की सम्मति के बिना ;

(iii) उस महिला की सम्मति से, जबकि उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है ;

(iv) उस महिला की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस महिला का पति नहीं है और उस महिला ने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है;

(v) उस महिला की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय, वह चित्त-विकृति या मत्तता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संवेदनशून्य करने वाला या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है, जिसके बारे में वह सम्मति देती है;

(vi) उस महिला की सम्मति से या उसके बिना, जब वह अठारह वर्ष से कम आयु की है ;

(vii) जब वह महिला सम्मति देने में असमर्थ है।

उक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि बलात्संग का अपराध उस स्थिति में कारित माना जायेगा, जब महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग, मुँह पर किसी प्रकार का लिंग से प्रवेशन किया गया हो या महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुँह अभियुक्त द्वारा लगाया गया हो। प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी के बयान के अतिरिक्त पत्रावली में इस प्रकार का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो वादिनी के बयान का समर्थन करे। वादिनी द्वारा भी अपने बयान में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है, जिससे यह तथ्य प्रकट होता हो कि अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार से वादिनी के गुप्तांगों या मुँह आदि पर अपना लिंग को रखने का कोई प्रयास किया गया हो। चूंकि प्रकरण अभी संज्ञान के बिन्दु पर लंबित है। इस स्तर पर साक्ष्यों का मूल्यांकन बहुत अधिक गहनता से नहीं किया जाना है तथा वादिनी के बयान को सही मानते हुए प्रकरण में कौन से अपराध प्रकट हो रहे है, इस तथ्य को न्यायालय को देखना है। वादिनी के बयानों में घटनास्थल पर मौजूद जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, उन सभी ने घटना कारित होने से इंकार किया है। वादिनी के बयान से यह भी स्पष्ट है कि उसके किसी प्रकार से कोई कपडे आदि नहीं फटे थे तथा अभियुक्त द्वारा अन्य कृत्य जो भी वादिनी के साथ घटना की तिथि पर अभियुक्त के चैम्बर में किये गये, वे सभी कृत्य प्रमुखता से धारा-74 भा०न्या०सं० के प्रावधानों के अंतर्गत आ रहे है। धारा-74 भा०न्या०सं० के अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि उसके द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कृत्य धारा-74 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

बलात्संग के प्रयत्न तथा किसी महिला की लज्जा भंग करने में एक बारीक रेखा का अन्तर है, जो कि अनेक विधिव्यवस्थाओं द्वारा उच्चतर न्यायालयों द्वारा स्थापित किया गया है। बलात्संग के प्रयास को भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अलग से परिभाषित नहीं किया गया है और न ही पूर्व में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी इसे परिभाषित किया गया था। मुख्यतः बलात्संग के प्रयास के अंतर्गत अभियुक्त का पीडिता के प्रति बलात्संग करने का आशय होना चाहिए, उक्त आशय की दिशा में कोई कार्य किया गया हो, जो कृत्य किया गया है वह प्रत्यक्ष रूप से प्रयास का संकेत देता हो। इसमें ऐसी गतिविधियां या शारीरिक सम्पर्क सम्मिलित है, जिसमें अभियुक्त का अपराध करने वाला आशय प्रकट होता हो। उक्त कृत्य वास्तविक कृत्य या अपराध के इतना सन्निकट होना चाहिए तथा प्रवेशन से कम होना चाहिए तथा अभियुक्त द्वारा किये गये कृत्य से यह संकेत प्राप्त होना चाहिए कि वह शारीरिक संबंध बनाने वाला था, परन्तु किसी कारणवश वह अपने कृत्य में सफल नहीं हो सका। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि धारा-74 भारतीय न्याय संहिता के अतर्गत उन कृत्यों को अपराध माना गया है, जिसका उद्देश्य किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए उसके शील/लज्जा को भंग करने का रहा हो। उच्चतर न्यायालयों द्वारा अनेकों विधिव्यवस्थाओं में धारा-376/511 भा०दं०सं०/धारा-64/62 भा०न्या०सं० के संबंध में विस्तृत दृष्टांत दिये गये है, जिनमें उक्त धाराओं को धारा-354 भा०दं०सं०/74 भा०न्या०सं० में परिवर्तित किया गया है। इस संबंध में **कर्नाटक राज्य बनाम खलील 2004 सी०आर०एल०जे० (एस०सी०) तथा बलदेव प्रसाद बनाम उडीसा राज्य 1984 सी०आर०एल०जे० एन०ओ०सी० 122** का अवलोकन महत्वपूर्ण है। उक्त विधिव्यवस्थाओं में जो प्रेक्षण धारा-376/511 भा०दं०सं० तथा धारा-354 भा०दं०सं० के संबंध में दिये गये हैं, वह प्रस्तुत प्रकरण में भी कार्यान्वित हो रहे है। प्रस्तुत प्रकरण में पीडिता द्वारा अपने बयानों में अन्य जो भी कृत्य अभियुक्त द्वारा वादिनी के विरूद्ध किये गये है, उन कृत्यों से धारा-64/62 भा०न्या०सं० का अपराध गठित होना प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट नहीं हो रहा है।

प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रेषित आरोपपत्र पर अभी संज्ञान नहीं लिया गया है तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-210 के अंतर्गत संज्ञान लेते समय न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि पुलिस रिपोर्ट पर न्यायालय के समक्ष उपलब्ध विकल्पों में न्यायालय अपने विकल्प का चयन करने हेतु सक्षम है। न्यायालय विवेचक द्वारा प्रेषित आरोपपत्र से बाध्य नहीं है।

यह स्पष्ट विधि है कि अपराध एवं अन्वेषण का विवरण अभियोजन पक्ष के मामले का व्यापक सिद्धान्त नहीं माना जाता है, परन्तु साथ ही कथित अपराध की गहन जाँच को भी प्रतिबिम्बित करना चाहिए। विवेचक द्वारा प्रेषित अभिलेखों के आधार पर न्यायालय अपराध का प्रभावी संज्ञान ले सकता है और धारा-210 भा०ना०सु०सं० और धारा-227 भा०ना०सु०सं० के अनुसार कार्यवाही कर सकता है। संदेह या तर्क की स्थिति में, या यदि कोई अपराध नहीं बनता है तो न्यायालय के पास उपलब्ध अन्य विकल्पों का प्रयोग करने का विकल्प प्राप्त है। पुलिस रिपोर्ट जिसे न्यायालय की आम भाषा में आरोपपत्र तथा अंतिम आख्या से संबोधित किया जाता है, में उक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विवेचक को अपनी आख्या तैयार करनी चाहिए और उसमें कथित विधि के उल्लंघन को पर्याप्त विशिष्टता और स्पष्टता के साथ दर्शाया जाना चाहिए, जब विवेचक की आख्या उक्त आवश्यकताओ का अनुपालन नहीं करती है तब संबंधित न्यायालय को संज्ञान लेने या लेने पर विचार करना चाहिए।

संज्ञान के पूर्व चरण में न्यायालय द्वारा आरोपपत्र/पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान ले सकता है या विवेचक द्वारा प्रेषित अभिमत से अलग अभिमत बनाते हुए प्रकरण में कार्यवाही कर सकता है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधिव्यवस्था **यूनूस व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य क्रिमिनल निगरानी सं०-3547/2021 दिनांकित 05.05.2022** का अवलोकन महत्वपूर्ण है, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रेक्षण दिया गया है कि "संज्ञान पूर्व चरण में जहाँ न्यायालय ने अपराध का संज्ञान नहीं लिया है, दं०प्र०सं० की धारा-173(2) के अंतर्गत आरोपपत्र कुछ भी नहीं है, यह केवल विवेचना के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर विवेचक की राय है और यह न्यायालय के लिए बाध्यकारी या अनिवार्य नहीं है। न्यायालय विवेचक की राय से सहमत भी हो सकता है और नहीं भी। न्यायालय को एक स्पष्ट आदेश पारित करके अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर विवेचक के अभिमत से अपना अभिमत अलग करने का पूरा अधिकार है।" इसी प्रकार मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा विधिव्यवस्था **मीनू कुमारी व अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2006) 4 एस०सी०सी० 359** का अवलोकन महत्वपूर्ण है, जिसमें मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से यह प्रावधानित किया गया है कि "धारा-190(1)(बी) दं०प्र०सं० में यह प्रावधान नहीं है कि मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान तभी ले सकता है, जब विवेचक यह अभिमत दे कि विवेचना में अभियुक्त के विरूद्ध मामला बनता है। मजिस्ट्रेट, विवेचक द्वारा निष्कर्ष को नजरअन्दाज कर सकता है और विवेचना में प्रकट हुए तथ्यों पर स्वतंत्र रूप से विचार कर सकता है और मामले का संज्ञान ले सकता है।" उक्त विधिव्यवस्थाओं के आलोक में यह स्पष्ट है कि न्यायालय विवेचक द्वारा प्रेषित आरोपपत्र से बाध्य नहीं है तथा प्रकरण में जिस धारा के अंतर्गत अपराध गठित होना पाया जा रहा है, उन सुसंगत धाराओं में संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है।

जैसा कि इस आदेश में पूर्व में यह निष्कर्ष दिया जा चुका है कि धारा-64(2),62 भा०न्या०सं० के कोई अव्यव पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य प्रथम दृष्ट्या धारा-74 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत संज्ञान योग्य है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध कि धारा-64(2),62 भा०न्या०सं० के अंतर्गत संज्ञान लिये जाने के आधार पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा-74 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर किये गये हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने के अपराध का संज्ञान लिया जाना न्यायोचित होगा।

जहाँ तक धारा-3(2)(5) महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन निवारण प्रतिषेध अधि० के अंतर्गत संज्ञान लिये जाने का प्रश्न है, उक्त अधि० में किसी प्रकार के कृत्य का न्यायालय द्वारा संज्ञान लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त अधि० महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीडन के संबंध में शिकायत के लिए एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करती है, जिसके अंतर्गत आन्तरिक शिकायत समिति तथा स्थानीय शिकायत समिति के समक्ष किसी महिला को शिकायत करनी होती है। शिकायत होने के उपरांत उक्त अधिनियम में प्रावधानित प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही

की जाती है। कोई महिला, महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन निवारण प्रतिषेध अधि० की धारा-09 के अंतर्गत आन्तरिक शिकायत समिति के समक्ष परिवाद दाखिल कर सकती है, जिसके उपरांत समिति द्वारा उसका निस्तारण किया जाता है। उक्त अधिनियम में किसी भी प्रकार का दाण्डिक प्रावधान उल्लिखित नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त तथ्यों के आलोक में धारा-3(2)(5) महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन निवारण प्रतिषेध अधि० के अंतर्गत संज्ञान लिये जाने के आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा विधिव्यवस्थाओं के आलोक में समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा केसडायरी पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण मु०अ०सं०-05/2025 थाना- खेकडा, जिला बागपत में **अभियुक्त जितेन्द्र कुमार कश्यप** के विरूद्ध **धारा-74,115(2) भारतीय न्याय संहिता** के अपराध के अंतर्गत प्रसंज्ञान लिये जाने के आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण मु०अ०सं०-05/2025 थाना- खेकडा, जिला बागपत में **अभियुक्त जितेन्द्र कुमार कश्यप** के विरूद्ध **धारा-74,115(2) भारतीय न्याय संहिता** के अपराध के अंतर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है। दर्ज रजिस्टर हो। तदानुसार प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

धारा-230 भा०ना०सु०सं० में दिये गये प्रावधानों का अनुपालन कराया जाये। अभियुक्त जरिये सम्मन दिनांक 06.11.2025 के लिए तलब हो।

दिनांक-06.10.2025

(रत्नम् श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बागपत।